उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 2015–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2019–74/2013 दिनांकः 27 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर/अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–7/2017/1758/24–पी–2–17–सा0(144)/17, दिनांक 27.12.2017 के माध्यम से ऊर्जा निगमों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन का लाभ अनुमन्य कराये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी, कि पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का नगद भुगतान जनवरी, 2018 भुगतान माह फरवरी, 2018 से किया जायेगा एवं दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की अवधि के पेंशन अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उ0प्र0 शासन से प्राप्त उक्त अनुमति के अनुसार उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किये जाने एवं दिनांक 01.01.2018 से अवशेषों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन का आदेश संख्या–4561–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि–2017, दिनांक 29.12.2017 जारी है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–801/ 24–पी–2–2019–सा0(144)/2017, दिनांक 09.07.2019 के माध्यम से ऊर्जा निगमों के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित पेंशन का एरियर/अवशेषों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासन से इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है, कि इस मद में शासन द्वारा प्राविधानित की गई बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष देयकों का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा, जिसमें से प्रथम किश्त का भुगतान इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के उपरान्त किया जायेगा तथा अवशेष देयकों के द्वितीय किश्त के भुगतान के सम्बन्ध में यथा समय शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 09.07.2019 में प्राविधानित व्यवस्थाओं/शर्तों के अनुसार यह आदेशित किया जाता है कि उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित एरियर/अवशेषों का भुगतान दो समान किश्तों में कराया जाये, जिसमें से प्रथम किश्त का भुगतान इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त किया जाये तथा अवशेष देयकों की द्वितीय किश्त का भुगतान शासन द्वारा इस सम्बन्ध में भविष्य में जारी होने वाले आदेशों के अनुरूप किया जाये।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपो0 लि0 के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु समस्त सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उनके स्तर से अब दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण हेतु जारी होने वाले पेंशन/ पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों में इस तथ्य का उल्लेख कर दिया जाए कि दिनांक 01.01.2016 से

क्रमशः..2

31.12.2017 तक के देय पेंशन अवशेष का भुगतान इस आदेश की व्यवस्था के अनुसार दो किश्तों में किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त इस आदेश के निर्गतन से पूर्व में जारी दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेशों जिनमें अवशेषों के देयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है, के संदर्भ में भी यह व्यवस्था प्राविधानित की जाती है कि ऐसे पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के भुगतान आदेशों के सापेक्ष दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लम्बित अवशेषों के भुगतान की कार्यवाही राजकीय कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्याः 801/24–पी–2–2019– सा0(144)/2017, दिनांक 09 जुलाई 2019 एवं तत्क्रम में जारी इस आदेश की शर्तों के अनुसार किया जाए।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 2015–पारे0अनु0–16/पाट्राकालि/2019–74/2013/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. **निदेशक (कोषागार), कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह उ0प्र0 राज्य शासन (ऊर्जा अनुभाग–2) के आदेश संख्या–801/24–पी–2–2019–सा0(144) /2017, दिनांक 09.07.2019 में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऊर्जा निगमों के पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2017 तक देय लम्बित अवशेषों का भुगतान राजकीय कोषागारों से कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।**
6. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
8. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
9. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
14. वेब–साइट।
15. कट फाइल।

आज्ञा से

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)